जयप्रकाश और अन्य

बनाम

टीएस डेविड और अन्य।

(सिविल अपील नं। 2018 का 883) 25 जनवरी, 2018

[आरके अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जेजे।]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-, ओरिक्स 1.13-एकपक्षीय डिक्री को रद्द करना-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर संपत्ति की बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए इस आधार पर मुकदमा कि उत्तरदाताओं-प्रतिवादी नं. 1 और 2 अपीलकर्ताओं से अग्रिम धनराशि लेने के बावजूद समझौते की शर्तों के अनुसार बिक्री लेनदेन को पूरा करने में विफल रहे और इसके बजाय प्रतिवादी नंबर 3 और 4 को सूट की संपत्ति बेच दी-प्रतिवादी शुरुआत से ही एक पक्षीय रहे, संयुक्त रूप से उत्तरदाताओं के खिलाफ एक पक्षीय डिक्री पारित की गई और डी अलग-अलग- प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने ओरिक्स के तहत एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन किया, आर.13-ट्रायल कोर्ट ने एक पक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया और योग्यता के आधार पर मुकदमे को नए सिरे से तय करने के लिए मूल मुकदमे को अपनी फाइल में बहाल कर दिया। रिमांड पर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 एक पक्षीय रहे ट्रायल कोर्ट ने फिर से सभी चार ई प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुनाया - प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की - उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और मामले को फिर से नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया - चाहे उच्च न्यायालय न्यायालय द्वारा मामले को उसके डेनोवो ट्रायल-हेल्दी प्रतिवादी संख्या के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजना उचित था। 1 और 2 ओरिक्स के तहत कार्यवाही के नोटिस के हकदार थे, 1:13 ऑरिक्स, आर.13 के पहले प्रावधान में एफ केरल राज्य द्वारा किए गए स्थानीय संशोधन के संदर्भ में जिसमें "नोटिस के बाद" शब्द डाले गए थे - पहले परंतुक में किया गया यह स्थानीय संशोधन प्रतिवादी संख्या पर लागू था। 1 और 2- एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने से पहले प्रतिवादी नंबर I और 2 को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और उनकी अनुपस्थिति में, मुकदमा बहाल कर दिया गया था। यह पूरे मुकदमे को बहाल करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई जीजी एक अनियमितता थी, हालांकि यह था प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लाभ के लिए-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के कहने पर मुकदमा बहाल होने के बाद। 3 और 4, ट्रायल कोर्ट ने एक और गलती की क्योंकि उसने फिर से प्रतिवादी नंबरों को मुकदमे का नया नोटिस जारी नहीं किया। 1 और 2 दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी नं. 1 और 2 11 262 जयाप्रकाशसी बनाम टी.एस. के नए नोटिस के हकदार थे। मुकदमे के पहले दौर में उपस्थित न होने के बावजूद डेविड का मुकदमा एक बार बहाल हो गया ऑर्टएक्स। r.13 कार्यवाही दो कानूनी कमज़ोरियाँ मामले को सुनवाई के लिए वापस भेजने की माँग करती हैं कानून-विशिष्ट के अनुसार गुण-दोष के आधार पर सिविल मुकदमे के नए फैसले के लिए अदालत निष्पादन-डिक्री एकपक्षीय डिक्री नोटिस।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया: 1. ट्रायल कोर्ट अब मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को सेवा के सामान्य तरीके से और फिर जरूरत पड़ने पर प्रतिस्थापित सेवा द्वारा नए नोटिस जारी करेगा। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 पर मुकदमे की तामील पूरी होने के बाद ही, ट्रायल कोर्ट गुण-दोष के आधार पर मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाएगा। [पैरा 22][266-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 883 /2018.

2007 के आरएफए संख्या 541 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 05.11.2014 से

अपीलकर्ताओं के लिए सी.एस. राजन, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए.रघुनाथ, सुश्री पुष्पा देवी सीकरी, सलाहकार। .

उत्तरदाताओं के लिए. थॉमस पी. जोसेफ, वरिष्ठ वकील, वी. श्रीधा रेड्डी, अभिजीत सेनगुप्ता, जयंत मुथराज, सी.के. ससी, सलाहकार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. यह अपील आर.एफ.ए. में एर्माकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.11.2014 के खिलाफ वादी द्वारा दायर की गई है। 2007 की संख्या 541 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 और 4 (यहां प्रतिवादी संख्या 1 और 2) द्वारा दायर अपील की अनुमति दी और उप-न्यायालय, कोट्टायम द्वारा ओएस 2001 की संख्या 337 में पारित 20.02.2007 के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया I

3. अपील में शामिल संक्षिप्त विवाद की सराहना करने के लिए, यहां कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है।

4. अपीलकर्ता वादी हैं जबकि प्रतिवादी उस सिविल मुकदमे में प्रतिवादी हैं जिससे यह अपील उत्पन्न होती है।

5. अपीलकर्ताओं ने ओ.एस. होने के नाते एक सिविल मुकदमा दायर किया। प्रधान उप-न्यायाधीश की अदालत में उत्तरदाताओं (प्रतिवादियों) के खिलाफ नंबर 337/2001, प्रतिवादी (प्रतिवादी संख्या 1-4) द्वारा अपीलकर्ताओं को 5,70,000/- रुपये के कुल प्रतिफल के लिए सूट संपत्तियों की बिक्री के लिए समझौते (एक्स-ए-1) के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कोट्टायम।

6. अपीलकर्ताओं के अनुसार, चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 (मुकदमे की संपत्तियों के मूल मालिक) अपीलकर्ताओं से अग्रिम धन लेने ,के बावजूद समझौते की शर्तों के अनुसार अपीलकर्ताओं को सूट संपत्तियों को बेचने में विफल रहे और इसके बजाय सूट बेच दिया। प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को संपत्ति, अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खिलाफ मुकदमा दायर किया प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध समझौते (पूर्व-ए-1) के विशिष्ट निष्पादन की मांग करना

7. प्रतिवादियों (प्रतिवादियों) को प्रतिस्थापित सेवा प्रदान की गई। हालाँकि, वे शुरुआत से ही एकपक्षीय रहे। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने 27.02.2004 को संयुक्त रूप से और अलग-अलग प्रतिवादियों (प्रतिवादियों) के खिलाफ एक पक्षीय डिक्री पारित की।

8. इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 नियम 13 के तहत दिनांक 27.2.2004 की एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन किया। ट्रायल कोर्ट ने, आदेश 20.12.2006 द्वारा, आवेदन की अनुमति दी और एक पक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया और गुण-दोष के आधार पर मुकदमे को नए सिरे से तय करने के लिए मूल मुकदमे को अपनी फाइल में बहाल कर दिया।

9. रिमांड पर, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने लिखित बयान दाखिल किया। जहां तक प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का सवाल है, वे एक पक्षीय रहे। ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 20.02.2007 के फैसले/डिक्री द्वारा, सभी चार प्रतिवादियों के खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुकदमे का फैसला सुनाया।

10. प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय के समक्ष पहली अपील दायर की। आक्षेपित फैसले से, उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट के फैसले/डिक्री को रद्द करते हुए मामले को फिर से ट्रायल कोर्ट में नए सिरे से भेज दिया। गुण-दोष के आधार पर परीक्षण. उच्च न्यायालय की राय में, ट्रायल कोर्ट ने मामले में उत्पन्न मुद्दों पर ठीक से निर्णय नहीं लिया और इसलिए, पूरे मामले पर स्वतंत्रता के साथ नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। पार्टियों को और सबूत पेश करने के लिए। तदनुसार मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया।

11. वादी ने आक्षेपित निर्णय से व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

12. इसलिए, संक्षिप्त प्रश्न, जो इस अपील में विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेजना उचित था,

13. अपीलकर्ताओं और श्री की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी.एस. राजन को सुना थॉमस पी. जोसेफ, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री सी.के. ससी, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील।

14. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली।

15. हमारी राय में, गुण-दोष के आधार पर मुकदमे को नए सिरे से चलाने के लिए उच्च न्यायालय का रिमांड आदेश सही प्रतीत होता है, हालांकि हम अतिरिक्त आधारों पर रिमांड आदेश को बरकरार रखते हैं, जिस पर उच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया और न ही यहां आग्रह किया। इसलिए, हमारी राय में, मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजना अन्यथा अपेक्षित है।

16. इसमें कोई विवाद नहीं है कि सभी चार प्रतिवादियों (1 से 4) को 27.02.2004 को संयुक्त रूप से और अलग-अलग एक पक्षीय डिक्री का सामना करना पड़ा। यह भी विवाद में नहीं है कि केवल प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत डिक्री को रद्द करने के लिए अदालत में आवेदन किया था। इस आवेदन को दिनांक 20.12.2005 के आदेश द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या सहित सभी प्रतिवादियों के खिलाफ संपूर्ण एक पक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया गया था। 2 और उन्होंने उसको रद्द करने के लिथे अर्ज़ी न दी। तदनुसार, मुकदमे को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए उसकी फाइल में बहाल कर दिया गया।

17. हमारे विचार में, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 आदेश 9 नियम 13 के पहले प्रावधान में केरल राज्य द्वारा किए गए स्थानीय संशोधन के संदर्भ में संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत कार्यवाही की सूचना के हकदार थे, जिसमें शब्द "उन्हें नोटिस के बाद" डाले गए थे। आदेश 9 नियम 13 के पहले परंतुक में किया गया यह स्थानीय संशोधन प्रतिवादी संख्या पर लागू था। 1 और 2. जब पूछताछ की गई, तो यह बताया गया कि एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने से पहले प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और उनकी अनुपस्थिति में, मुकदमा बहाल कर दिया गया था। यह, हमारे विचार में, पूरे मुकदमे को बहाल करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई एक अनियमितता थी, हालांकि यह प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के लाभ के लिए था।

18. जैसा कि हो सकता है, हमारी सुविचारित राय में, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के कहने पर मुकदमा बहाल होने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने एक और त्रुटि की, क्योंकि उसने फिर से प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को मुकदमे का नया नोटिस जारी नहीं किया। 1 और 2. दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 मुकदमे के मुकदमे के पहले दौर में और आदेश 9 नियम 13 की कार्यवाही में उनकी गैर-उपस्थिति के बावजूद एक बार बहाल होने पर मुकदमे के नए नोटिस के हकदार थे।

19. हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने फिर से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ एक पक्षीय निर्णय/डिक्री दिनांक 20.02.2007 द्वारा मुकदमा डिक्री कर दिया, लेकिन केवल प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को सुनने के बाद। यह इस निर्णय और डिक्री के खिलाफ है जिसे लागू किया गया था प्रतिवादी नंबर 3 और 4 द्वारा अपील में, जिसे उच्च न्यायालय ने फिर से आक्षेपित

निर्णय द्वारा खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया, जिससे इस अपील को वादी द्वारा दायर करने का मौका मिला।

20. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हालांकि हम रिमांड आदेश को बरकरार रखने के इच्छुक हैं, लेकिन हम मुकदमे की कार्यवाही और आदेश 9 नियम 13 की कार्यवाही में हमारे द्वारा देखे गए उपरोक्त दो आधारों के आधार पर ऐसा करते हैं। कार्यवाही में हमारे द्वारा देखी गई दो कानूनी कमजोरियाँ कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर सिविल मुकदमे के नए फैसले के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजने की मांग करती हैं।

21. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

22. ट्रायल कोर्ट अब मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को सेवा के सामान्य तरीके से और फिर जरूरत पड़ने पर प्रतिस्थापित सेवा द्वारा नए नोटिस जारी करेगा। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 पर मुकदमे की तामील पूरी होने के बाद ही, ट्रायल कोर्ट गुण-दोष के आधार पर मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाएगा।

23. जहां तक प्रतिवादी संख्या 3 और 4 का सवाल है, उन्हें पहले ही तामील हो चुकी है और इसलिए वे किसी भी नोटिस के हकदार नहीं हैं।

24. मुकदमे में पक्षकारों को 05.02.2018 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा ताकि ट्रायल कोर्ट ऊपर बताए अनुसार मुकदमे में आगे बढ़ सके। ट्रायल कोर्ट शीघ्रता से कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर मुकदमे का फैसला करेगा।

अपील खारिज

सर्वम द्विवेदी